बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पटना, दिनांक......................../2018

अधिसूचना

संख्या 15/एम 1–160/2014 ..../ बिहार राज्य के वैशाली जिलान्तर्गत भगवानपुर में निजी क्षेत्र में डॉ0 सी0वी रमण विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT) से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन मूल्याकंन/समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 1741 दिनांक 31.08.2015 द्वारा इस विश्वविद्यालय स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किया गया है। पुनः विभागीय पत्रांक 1459 दिनांक 09.08.2017 द्वारा बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 2 (2) के तहत आशय पत्र की समयावधि को दो वर्षों के लिए अधिकतम विस्तारित किया गया है।

विभागीय स्तर से निर्गत उक्त आशय पत्र के आलोक में प्रायोजक निकाय द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 6 एवं बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 में प्रदत अधिकार के तहत प्रायोजक निकाय All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT), SCOPE Campus, NH-12, Bhaironpur, (Near misrod) hosangabad road, Bhopal-462026 को " डॉ0 सी0वी रमण विश्वविद्यालय" के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं भगवानपुर (वैशाली) में पटना साहिब एजुकेशनल ट्रस्ट से किराएनामा किए गए भवन से दो वर्षों के लिए औपबंधिक रूप से विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

दो वर्षों के उपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 के धारा 5 (1) (iii) के तहत विश्वविद्यालय के लिए स्थायी भवन निर्मित नहीं किए जाने की स्थिति में विभागीय पत्रांक 1741 दिनांक 31.08.2015 एवं पत्रांक 1459 दिनांक 09.08.2017 द्वारा निर्गत आशय पत्र एवं इस अधिसूचना के माध्यम से विश्वविद्यालय स्थापना/औपबंधिक संचालन हेतु दी जा रही अनुमति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

यह विश्वविद्यालय डॉ0 सी0वी रमण विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उतराधिकार एवं सामान्य मुहर (सील) होगी। इसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा।

यह विश्वविद्यालय स्वयं वित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

इस विश्वविद्यालय का संचालन पूर्णतः बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1–160/2014 पटना, दिनांक /2018

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह0/–
(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1–160/2014 पटना, दिनांक /2018

प्रतिलिपि :– श्री एस0 के0 चौबे, अध्यक्ष, ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्पयूटर टेक्नोलॉजी SCOPE Campus, NH-12, Bhaironpur (Near misrod) hosangabad road, Bhopal-462026 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 15/एम 1–160/2014 –124 पटना, दिनांक 29/01 /2018

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली/सचिव/सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/भारतीय चिकित्सा परिषद्/भारतीय फार्मेसी परिषद्/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्/बार कॉसिंल ऑफ इण्डिया/कॉसिल फौर एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय विधिक परिषद्/कृषि अनुसंधान परिषद्/सी0एस0आई0आर0/राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव एवं भारत सरकार के विभिन्न प्रकार के शिक्षा प्रदान करने हेतु गठित नियामक निकायों के सचिव/सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. विभागीय आई0टी0 मैनेजर को अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

29/1/18.
(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव
SSinh